

अचल सम्पत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। सर्व-साधारण को और विशेष रूप से ऋणी/जमानतदार को विशेषतः यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक ऑफ़ इंडिया/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का अधिग्रहण भौतिक/सांकेतिक रूप से बैंक ऑफ़ इंडिया- प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित ऋणी/जमानतदार से बैंक ऑफ़ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु दिनांक 28.07.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि धरोहर राशि संबंधित सम्पत्ति के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

धरोहर राशि जमा कराने की तिथि 23.06.2026 प्रातः 10.00 बजे से अंतिम तिथि 28.07.2026 सायं 5.00 बजे तक है।

शाखा कार्यालय	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) 13(2) नोटिस की दिनांक	आरक्षित मूल्य (रूपये लाखों में)	ई-नीलामी की दिनांक व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
		(बी) बकाया ऋण राशि दिनांक तक	धरोहर राशि		
		(सी) कब्जा दिनांक	बोली वृद्धि राशि		
		(डी) कब्जे का प्रतीक प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक			
राजसमंद शाखा सम्पर्क: 7567655129	श्रीमती कंचन देवी लोहार पत्नी बंशी लाल लोहार के नाम से प्लॉट के-12, ब्लॉक (के) द्वारिका नगर, हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना, तहसील और जिला-राजसमंद, राज. 313324 में स्थित है।	(ए) 29-10-2025	रूपये 20,06,000/-	28.07.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
श्रीमती कंचन देवी लोहार पत्नी बंशी लाल लोहार और बंशी लाल लोहार पुत्र देवी लाल लोहार		(बी) रु. 17.17 लाख + आगे का ब्याज और शुल्क	रूपये 2,00,600/-		
		(सी) 13.01.2026	रूपये 10,000/-		
			(डी) सांकेतिक कब्जा	निरीक्षण की दिनांक: 21.07.2026	

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म (पीएसबी एलायंस) की वेबसाइट अर्थात् (1) <https://baanknet.com> (2) www.bankofindia.bank.in पर देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन विक्रय की 30 दिवस की वैधानिक सूचना एतद्वारा ऋणी/जमानतियों एवं बंधककर्ता को नीलामी तिथि से पूर्व उक्त वर्णित बकाया राशि मय ब्याज एवं खर्चों को भुगतान करने हेतु नोटिस दिया जाता है जिसके अभाव में उक्त सम्पत्ति बकाया राशि की वसूली हेतु विक्रय कर दी जावेगी तथा बकाया राशि मय ब्याज व खर्चों के वसूल की जावेगी।

दिनांक: 23/06/2026

स्थान:- राजसमंद

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ इंडिया